न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/25/2025	2025/271	19.02.2025	31.12.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री सचिन सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी, निवासी वार्ड नं0 11. बिलासपुर रोड, तिजारा राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. रविन्द्र सिंह सैनी —अप्रार्थी अधिवक्ता।

::— निर्णय —::

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 14.02.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री सचिन सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी, निवासी वार्ड नं0 11. बिलासपुर रोड, तिजारा के उपकार कैफे, चिल्ड्रन पार्क, मोती डूंगरी, अलवर (राज०) स्थित परिसर पर पहुंचा।

मौके पर श्री सचिन सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी, निवासी वार्ड नं0 11. बिलासपुर रोड, तिजारा उपस्थित मिले। श्री सचिन सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री सचिन सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर, को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर, को मै० गोविन्द गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रूपनारायण, निवासी धोबी घट्टा, अलवर को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि मिन अप्रार्थी जो उपकार कैफे, चिल्ड्रन पार्क, मोती डूंगरी, अलवर पर केवल कार्य करता है जो फर्म उपहार कैफे का प्रार्थी मालिक या प्रोपराईटर नही है तथा दिनांक 14.02.2025 को मिन अप्रार्थी जो अपनी बुआ मंजू सैनी पत्नि श्री दिनेश चन्द सैनी निवासी 43 नजदीक गोविन्द देव हॉस्पीटल, गांधी नगर, स्कीम नम्बर 8, अलवर के नाम से जारी घरेलू गैस कनैक्शन उपभोक्ता

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

संख्या 41013172 के दोनो घरेलू गैस सिलेण्डर भरवाने के लिये ले जा रहा था तो प्रार्थी चिल्ड्रन पार्क, मोती डूंगरी, अलवर पर रूक गया और दोनो गैस सिलेण्डर को पार्क मे रखकर टहलने के लिये पार्क मे चला गया था इसी दौरान बनवारी लाल शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर आये और दोनो गैस सिलेण्डर को जब्त कर लिया एवं अप्रार्थी से इसकी जानकारी की गई तो अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त दोनो गैस सिलेण्डर को भरवाने के लिये जा रहा था वह उसने उक्त दोनो गैस सिलेण्डर को पार्क में रखकर पार्क मे टहलने के लिये चला गया था लेकिन प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की और उक्त दोनो घरेलू गैस सिलेण्डरो को गलत प्रकार से व्यवसायिक उपयोग मे मानते हुये जब्त कर लिया गया तक्ति प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आदेश व नियमो का कोई उल्लघन नही किया गया है ।अप्रार्थी को उक्त प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है अप्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई वास्ता व लेना देना नही है इसलिये अप्रार्थी को उक्त कार्यवाही के भार से मुक्त किया जाकर प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी खिलाफ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6"ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय ओर वितरण विनियमन) आदेश 2000 मय खर्चा खारिज किये जाने एवं प्रार्थी को उक्त कार्यवाही के भार से मुक्त किये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, फर्द निरीक्षण, फर्द जप्ती और दोनों पक्षों के तर्कों का मैंने गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर चिंतन–मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि मौके पर अप्रार्थी श्री सचिन सैनी पुत्र श्री कैलाश चंद सैनी, की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। अप्रार्थी का यह तर्क कि वह "सिलेंडर पार्क में रखकर टहलने चला गया था", प्रथम दृष्टया अस्वाभाविक और अविश्वसनीय प्रतीत होता है। सामान्य मानवीय व्यवहार में कोई भी व्यक्ति भरे या खाली सिलेंडरों को लावारिस अवस्था में पार्क में छोड़कर टहलने नहीं जाता है। यह तर्क स्पष्ट रूप से बचाव के लिए गढ़ी गई कहानी प्रतीत होती है। अप्रार्थी की उपस्थिति मौके पर पाई गई है और सिलेंडरों का सम्बन्ध एक व्यावसायिक स्थल (कैफे) से स्थापित हुआ है। द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक संस्थान में संग्रहण या उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। अप्रार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि उक्त समय पर वह वैध रूप से सिलेंडरों का परिवहन कर रहा था। व्यावसायिक परिसर में घरेलू सिलेंडर का मिलना ही "दुरुपयोग" की श्रेणी में आता है, चाहे वह भरा हो या आंशिक रूप से खाली। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)